न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2022 (उदयपुर आर्डर)

1. नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री नाथूलाल खोखावत, निवासी जैन बस्ती, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मन्जु देवी पुत्री स्वर्गीय श्री नाथूलाल खोखावत पत्नी श्री मनोहरलाल पामेचा, निवासी सदर बाजार, देलवाड़ा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती ललिता पुत्री स्वर्गीय श्री नाथूलाल खोखावत पत्नी श्री सागरमल जैन, निवासी तहसील रोड़, होली मगरा, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
4. श्रीमती हेमलता पुत्री स्वर्गीय श्री नाथूलाल खोखावत पत्नी श्री कैलाशचन्द्र बिसलोत, निवासी प्रताप बस्ती, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

..... अपीलान्टगण

बनाम

विक्रमसिंह पिता श्री उदयसिंह जी देवड़ा, निवासी गोपालपुरा, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 16.09.2022 प्र. सं. 07/2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के स्वत्व एवं आधिपत्य की पैत्रृक आराजी नंबर 1619 व 1620 कुल किता 2 रकबा 0.1376 हैक्टर भूमि ग्राम डबोक में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा एवं 1/5 हिस्सा प्रार्थीगण के भाई हिम्मतसिंह का था जिन द्वारा बिना विभाजन कराये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी को विक्रय कर दिया है, किन्तु क्रेता को आज दिनांक तक मौके पर कोई भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी अपने धन बल के आधार पर मुख्य रास्ते से लगती हुई भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रार्थीगण के भाई हिम्मतसिंह से विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिस पर वह काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सनुकर अपने निर्णय दिनांक 16–09–2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–10–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है, किन्तु उसमें समय लगेगा इसलिए मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना आवश्यक है। रेस्पोन्डेन्ट जबरन भू–रूपान्तरण करवाकर निर्माण करने पर आमादा हैं तथा रास्ते की जमीन हथियाना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य से अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट विवादित भूमि के 1/5 हिस्से का सहखातेदार है एवं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2009 1 RLW(RJ)483 ; 2008 0 Supreme (Raj) 942 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में विवादित आराजी आराजी नंबर 1619 व 1620 कुल किता 2 रकबा 0.1376 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट/प्रार्थी का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह माना है कि चूंकि दोनों ही पक्षकार खातेदार हैं तथा खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी सहखातेदार संयुक्त सम्पत्ति में काबिज माने जाते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–09–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested